न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 383/2021 GCMS-2021/455
26/2019 2019/00042

प्रार्थीगण

1. तुलसीराम पुत्र मोहनदास
2. दुलाराम पुत्र माहनदास
3. रामादेवी पत्नी मोहनदास
4. राजुराम पुत्र मोहनदास जाति साद निवासी त्रिसिंज्ञा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. क्षेत्रीय वन संरक्षक कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. जिला वन अधिकारी, नागौर
3. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
4. ईश्वरराम पुत्र दल्लाराम चौधरी जाति जाट निवासी कुचामनसिटी
5. मोतीराम पुत्र दल्लाराम चौधरी जाति जाट निवासी कुचामनसिटी
6. कमला देवी पत्नी गोपालराम जाट निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
7. मोहनीदेवी पत्नी भागूराम जाट निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
8. रमणी देवी पत्नी हीरालाल जाति अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी
9. श्रवणी देवी पत्नी गोमाराम जाट निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

प्रार्थना–पत्र बाबत स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने बाबत अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 एवं 2 की ओर से।
श्री बोदूराम अधिवक्ता अप्रार्थीगण 4 एवं 5 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 13/4/2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम त्रिसिंज्ञा पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामनसिटी में कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 2 रकबा 4.30 हैक्टर बारानी प्रथम स्थित चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है जिस पर आज दिन प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के पड़ोस में दक्षिण, पश्चिम व उत्तर पश्चिम में खसरा नम्बर 3 वन विभाग का है तथा उत्तर पूर्व

उपखण्ड अधिकारी

में ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 261 है तथा पूर्व में खातेदारों की भूमि खसरा नम्बर 17, 18, 20 आई हुई है। जुलाई 2013 में खसरा नम्बर 3 जो वन विभाग की खातेदारी का है उसमें पत्थर के मुटाम लगाये गये, उक्त पत्थर के मुटाम दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण की भूमि में दक्षिण पश्चिम तरफ 12.90 मीटर तथा दक्षिण पूर्व 14.74 मीटर अन्दर लगा दिये गये तथा उत्तर पश्चिम में मुटाम 6.79 मीटर की चौड़ाई में 13.79 मीटर अन्दर लगा दिये गये, बीच में उत्तरी सीमा पर स्थित मुटाम प्रार्थीगण की भूमि में मूल स्थान से 18 मीटर ओवर लेप कर पूर्वी तरफ लगा दिये गये। जब उक्त मुटाम लगाये गये तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मना भी किया गया कि वे खसरा नम्बर 3 का गलत नाप–चौक कर रहे है, परन्तु मौके पर नाप–चौक कर रहे राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रार्थीगण की नहीं सुनी व मुटाम प्रार्थीगण की भूमि में स्थाई सीमा चिन्हो को हटाकर नये सीमा चिन्ह कायम कर दिये गये तथा खसरा नम्बर 2 के पूर्वी तरफ की भूमि खसरा नम्बर 17, 18 के काश्तकारों द्वारा स्थाई सीमा चिन्हों के साथ छेड़छाड़ कर पूर्वी सीमा को खसरा नम्बर 17, 18 के खातेदारों द्वारा 9.57 मीटर, 8.77 मीटर की चौड़ाई व 120 मीटर लम्बाई में अतिक्रमण कर नये सीमा चिन्ह स्थापित कर लिये गये। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2 की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा दक्षिण तरफ उत्तर व पश्चिम में पत्थर के मुटाम को अन्दर की तरफ लगा कर स्थाई सीमा चिन्हो को नष्ट कर दिया जिससे प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कम हो गया है, अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की दक्षिण सीमा में पूर्व से पश्चिम 133 मीटर म्बार व 13.70 मीटर चौड़ाई कुल 1795 वर्ग मीटर व पश्चिमी सीमा में उत्तर से दक्षिण तरफ 180 मीटर लम्बाई व 12.46 मीटर चौड़ाई कुल 2242 वर्ग मीटर भूमि व पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 17? 18 के काश्तकार अप्रार्थीगण द्वारा औसतन 9 मीटर चौड़ाई व 120 मीटर लम्बाई में कुल 1080 वर्ग मीटर में सीमा चिन्हो को प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर स्थापित कर अतिक्रमण कर लिया है जो नजरी नक्शे में दर्शित किया गया है, इस प्रकार कुल 3 बीघा 5 बिस्वा रकबा प्रार्थीगण की भूमि मौके पर कम हो गया है, प्रथम सेटलमेंट द्वारा जारी जमाबंदी 2008 में प्रार्थीगण की भूमि का रकबा राजस्व रेकर्ड में 26 बीघा 11 बिस्वा दर्ज था जो आज भी दर्ज है, परन्तु मौके पर कम है, इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को दबाकर 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि कम कर दी गई है, पटवारी हल्का सरगोठ द्वारा बनाई गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनॉक 16.03.2019 में भी उन्होने उत्तरी तरफ का मुटाम 18 मीटर ओवर लेप होना बताया है, पुरानी नक्शा शीट व नई शीट अनुसार खसरा नम्बर 2 का नाप भू. अभिलेख अधिकारी व कर्मचारियो की टीम गठित करवाकर खसरा नम्बर 2 की भूमि के चारों दिशाओं पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम त्रिसिंज्ञा के नये पुराने खसरा नम्बर 2 का नाप–चौक नई नक्शा शीट व पुरानी नक्शा शीट दोनो से करवाकर उसकी चर्तुदिशाओ पर नये सीमा चिन्ह स्थापित करने के आदेश राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 तथा 4 एवं 5 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर

शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी संख्या 7 से 9 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी राजूराम पुत्र मोहनदास द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत होने से सुनवाई कर उचित कारण होने से स्वीकार कर प्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजी के स्थाई सीमाचिन्ह से राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अमीन की उपस्थिति में राजस्व अभिलेख से विधिवत नाप रिपोर्ट से प्रमाणित किये जा सकते है, अप्रार्थीगण उत्तरदाता द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि के साथ छेड़छाड़ कर सीमा चिन्ह हटाने के कथन सर्वथ गलत एवं मनगढत होने के कारण अस्वीकार है, नये सेटलमेन्ट ने मौके पर मौजूद वास्तविक नाप स्थिति अनुसार रेकर्ड में प्रविष्टियॉ दर्ज की है,वन विभाग के अमीन की उपस्थिति में भू–राजस्व अभिलेख व राजस्व नक्शा से सक्षम सेटलमेंट टीम की सहायता से जीपीएस मशीन से नाप करवाया जाकर विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। अप्रार्थी सं. 4 एवं 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार खसरा नम्बर 2 एवं 17 के मध्य खसरा नम्बर 16 रास्ता स्थित है जिसका रकाि 1.83 हैक्टर है, अप्रार्थी 4 व 5 ने कभी स्थाई सीमा चिन्हो के साथ छेड़छाड़ नही की है, इस तरह जो पूर्वी सीमा पर खसरा नम्बर 17 व 18 के खातेदारो पर 9.7 मीटर, 8.77 मीटर की चौड़ाई व 120 मीटर लम्बाई में अतिक्रमण कर नये सीमा चिन्ह स्थापित करने का आरोप तथ्यहीन है।

दस्तावेजी साक्ष्यो में प्रार्थीगण की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2008, 2010–2042, मिलान क्षेत्रफल की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, नकल खतौनी सम्वत 2074–2077, फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनॉक 16.03.2019 की नकल, इत्यादि प्रस्तुत किये।

इस न्यायालय के पत्रांक/ कोर्ट/2020/289 दिनॉक 06.03.2020 के द्वारा तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व टीम गठित कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जो अपने पत्रांक/भू.अ./1160 दिनॉक 14.10.2020 को ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नम्बर 2 रकबा 4.30 हैक्टर की फर्द मौका रिर्पोट 29.07.2020 की प्रति प्रस्तुत की, जो पटवारी हल्का सरगोठ, नि.भू.अ.मण्डावरा, पटवारी हल्का रूपपुरा, नि.भू.अ.कुचामनसिटी एवं स्वयं तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, जिन्होने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्व्त 2008 ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नम्बर 2 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा में तिलोकदास वल्द हनुमानदास सा. देह लादू वल्द शिवबगस जाट सा. कुचामण दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2012–2015, 2020–2023, 2024–2027 ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नम्बर 2 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा में उपरोक्तानुसार इन्द्राज है, सम्वत 2028–2031 ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नम्बर 2 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा में सेवगराम खोले रधुवरदास साद सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत

उपखण्ड अधिकारी

2031–2034, 2039 से 2042 में ग्राम त्रिसिंज्ञा के खसरा नम्बर 2 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा मे मोहनदास पुत्र तिलोकदास साद सा. देह खातेदार दर्ज है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 2 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 2 रकबा 4.30 अंकित हुये, नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम त्रिसिंज्ञा के खसरा नम्बर 2 रकबा 4.30 हैक्टर बारानी प्रथम में तुलसीराम पुत्र मोहनदास हिस्सा 1/4 जाति साद सा. देह खातेदार दर्ज है, दुलाराम पुत्र मोहनदास हिस्सा 1/4 जाति साद सा. देह खातेदार दर्ज है, राजुराम पुत्र मोहनदास हिस्सा 1/4 जाति साद सा. देह खातेदार दर्ज है, रामादेवी पत्नी मोहनदास हिस्सा 1/4 जाति साद सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम त्रिसिंज्ञा के खसरा नम्बर 18 रकबा 0.67 हैक्टर बारानी प्रथम में कमलादेवी पत्नी गोपालराम हिस्सा 1/4 जाति जाट नि. दीपपुरा खातेदार, मोहनीदेवी पत्नी भागूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट नि. सुजानपुरा खातेदार, रमणीदेवी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1/4 जाति अग्रवाल नि. कुचामनसिटी खातेदार, श्रवणीदेवी पत्नी गोमाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट नि. पलाड़ा खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम त्रिसिंज्ञा के खसरा नम्बर 17 रकबा 0.32 हैक्टर बारानी प्रथम में ईश्वरराम पुत्र दल्लाराम चौधरी हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. कुचामनसिटी खातेदार मोतीराम पुत्र दल्लाराम चौधरी हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है, फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनॉक 16.03.2019 अनुसार खसरा नम्बर 2 में बिन्दूवार रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी हल्का नि.भू.अ. द्वारा तैयार कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की है जिसके अनुसार उतरी तरफ ग्राम पनवाड़ी की सीमा लगती हुई बताया है, तथा दक्षिण पश्चिम दिशा वन विभाग कीक भूमि लगती हुई बताई गई, तथा बिन्दू ए से बी दूरी खसरा नम्बर 2 में शीट मिलान होने के कारण नक्शे के अनुसार मेल नही खा रहा है, बिन्दू संख्या सी से डी नक्शे के अनुसार 150 मीटर है जबकि बिन्दू ई (खसरा नम्बर 70) से दूरी मापने पर नक्शे अनुसार 133 मीटर है तथा बिन्दू डी से सी 132 मीटर आता है इस प्रकार 18 मीटर इस बिन्दू पर मौके पर ओवर लेपिंग होता है।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2020 अनुसार ग्राम त्रिसिंज्ञा क खसरा नम्बर 2 रकबा 4.30 हैक्टर की रिपोर्ट निम्नवत प्रस्तुत की :–

I. खसरा नम्बर 1 गै.मु.कुआ से मुताबिक मोमिया ट्रेस बिन्दू A तक 128 मीटर है उसके बाद वन विभाग की सीमा लगती है।
II. बिन्दू A से B तक की दूरी मुताबिक मोमिया ट्रेस 180 मीटर मौके पर है।
III. खसरा नम्बर 1 गै.मु.कुआ से बिन्दू **B** की दूरी 144 मीटर है।
IV. खसरा नम्बर 1 गै.मु.कुआ से बिन्दू **C** की दूरी 71 मीटर है।
V. खसरा नम्बर 1 गै.मु.कुआ से बिन्दू **D** की दूरी 168 मीटर है।
VI. खसरा नम्बर 1 गै.मु.कुआ से बिन्दू **E** की दूरी 109 मीटर है।
VII. खसरा नम्बर 70 गै.मु.कुआ से बिन्दू **F** की दूरी 133 मीटर है।

खसरा नम्बर 1 गै.मु.कुआ से बिन्दू **A, B, C, D** की दूरी मोमिया ट्रेस के मुताबिक नापने पर वन विभाग द्वारा लगाये गये पीलर से 14 मीटर उत्तर पश्चिम की तरफ

आता है तथा खसरा नम्बर गै.मु.कुआ से बिन्दू **B** पीलर से 11 मीटर दक्षिणी पश्चिम की तरफ आता है, बिन्दू **8** पीलर से 10 मीटर दक्षिणी पूर्वी की तरफ आता है जहॉ मौके पर डामर सड़क बनी हुई है तथा खसरा नम्बर 1 से माप करने पर बिन्दू **C** पर बने पीलर से 3 मीटर दक्षिण की तरफ आता है व बिन्दू **A** पीलर से 7 मीटर दक्षिण की तरफ आता है, खसरा नम्बर 1 व 2 के उत्तर, दक्षिण व पश्चिमी में वन विभाग की भूमि लगती है जिसमें झाड़ झखाड़ पहाड़ होने के कारण मौके पर जरीब नही चल सकती जिससे वन विभाग की भूमि के खसरा का सीमांकन नही हो सका, वन विभाग के पीलर को आधार मानकर मुताबिक नक्शा सीट नाप करने पर ओवरलेप होता है।

प्रार्थी की ओर से उपरोक्त रिपोर्ट सही नही होने पर दिनॉक 26.02.2021 आपत्ति प्रस्तुत की तथा सही नाप चौक सहित रिपोर्ट मंगाये जाने का कथन किया। तत्पश्चात उपरोक्त रिपोर्ट पर ही अपनी बहस सुनाई गई।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में फर्द सीमाज्ञान दिनॉक 16.03.2019 में भी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित नही है तथा वर्तमान मौका वस्तु स्थिति रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2020 भी स्पष्ट रिपोर्ट नही है, जिसमें वन विभाग की भूमि का सही नाप चौक नही होने के राजस्व टीम ने कथन किये है। जब तक स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नही की जाती है, तब तक इस न्यायालय द्वारा पत्थर गढ़ी कराये जाने का अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त नही कर सकते। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी ऐसे दस्तावेजात इत्यादि से यह साबित नही होता है कि उसकी भूमि किस खातेदार या विभाग द्वारा स्थाई सीमा चिन्हो को हटाकर नये मुटाम कायम किये गये हो ? प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र किसी भी दृष्टि से साबित नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 13/4/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)